बिहार सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग।

अधिसूचना

पटना, दिनांक 15/3/18

अ0सं0– 1448 /एम0 राज्य में बालू संकट तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति को ध्यान में रखते हुए कार्य विभाग को सरकारी कार्य योजनाओं में बालू की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली, 1972 के नियम–36 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जमुई जिला के खरहइया–1 (4.65 हे0), खरहईया–2 (4.57 हे0), कगेसर (4.22 हे0), कगेसर (4.89 हे0), मउरा (6.65 हे0), बगहाखाड़ (2.02 हे0), कल्याणपुर (21.5 हे0), कटौना (22.5 हे0), सतगामा (23.5 हे0) एवं बरियारपुर (20.5 हे0) बालूघाटों का संचालन बिहार राज्य खनन निगम को प्रदान किया जाता है।

2. उक्त बालूघाटों से बालू की आपूर्ति मुख्यतः सरकारी कार्य विभागों को की जायेगी।

3. यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–
(सुशील कुमार)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक– 1448 A /एम0, पटना, दिनांक– 15/3/18
प्रतिलिपिः–निदेशक, खान/समाहर्त्ता, जमुई/खान निरीक्षक, जिला खनन कार्यालय, जमुई/आई0टी0 मैनेजर, खान एवं भूतत्व विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/3/18
सरकार के अवर सचिव

D/Sanjay/Narendraji/Adhisuchna